

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा अन्नपूर्णा गिरोह (Anpurna giroh), प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुमकी (DUMKI), जिला चुरु का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वासन (WASAN) जिला सिरोही किया गया, जिसके विरुद्ध शशिकला द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 636/2019 अन्नपूर्णा गिरोह वनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 636/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.10.2019 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपयुक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार एक सकारण अख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के मददेयनजर रखते हुए अपना समायोजन चुरु जिले के निकटतम स्थान पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। अपीलार्थी द्वारा अपने स्थानान्तरित स्थान पर 18.10.2019 को कार्यग्रहण कर लिया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों, एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी अन्नपूर्णा गिरोह, प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हों।



(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक 26/12

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/अन्नपूर्णा गिरोह/636/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चुरु/पाली संभाग।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सिरोही/चुरु।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, सिरोही/चुरु।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. अन्नपूर्णा गिरोह, सम्बन्धित प्रधानाचार्य।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)